



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128055

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20706/2026

नरेंद्र

.... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत
पक्ष

आवेदक के वकील
विपक्षी पार्टी के वकील

: रवि शंकर त्रिपाठी
जीए, महेंद्र सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति।

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत याचिका धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 105, 118(1), 117(3), 110 बीएनएस, 2023, थाना-जरीफनगर, जिला-बदायूं के तहत मुकदमा अपराध संख्या 317/2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदक के वकील ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है, जबकि छह व्यक्तियों को नामजद किया गया है। आवेदक के वकील ने आगे तर्क दिया है कि अन्य सह-आरोपी, अशोक, प्रमोद और आलोक, जिनका नाम भी एफआईआर में नहीं था, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2026, 03.06.2026 और 11.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत याचिका आवेदन संख्या 20453/2026, 18941/2026 और 17357/2026 क्रमशः में पारित आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.12.2025 से जेल में है।
- दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् अशोक, प्रमोद और आलोक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। पक्षों की राय ली और रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् अशोक, प्रमोद और आलोक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन आदेशों को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 26.12.2025 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

8. उपरोक्त मामले में आरोपी नरेंद्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो निचली अदालत उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या

बिना पर्याप्त कारण के है, तो ट्रायल कोर्ट ऐसी चूक को अधिकार का दुरुपयोग मान सकता है।
अथवा यह निर्धारित करने का पूर्ण अधिकारी है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए और
उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी
तरह से विद्वान ट्रायल जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से
प्रभावित नहीं करेंगी।

(दिवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

Translated, Corrected & Authenticated by me.

NIKHIL TANDON
A/N0339/2012

Translated version. Not for Legal Use.